



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[25]

माल में प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण के नाम के स्थान पर व्यक्तिगत स्वामी के रूप में अंकित करा लेने की अधिकारी रहेंगी। यदि नाम परिवर्तन के सिलसिले में प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण की रजामन्दी दाखिल करने या हस्ताक्षर आदि करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण पूर्ण करने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगी। प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण







